

4.4.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील अनुपस्थित
है। प्रार्थी व प्रार्थी वकील को बार-बार आवाज
लगावारी गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। तब
आतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पेशी
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत
स्वारिज की जाती है। पत्रावली केवल
सुमाए टोकर, नम्बर से कम टोकर शरिबल
दफतर हो निर्णय सुले न-भायालय में
सुनाया गया।

